राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ....2306 / 2016.............................जिला...........जयपुर...

उनवान – मैसर्स लार्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड, वैशाली नगर, जयपुर बनाम् 1. सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वर्क्स टैक्स–तृतीय, जयपुर। 2. अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08 / 03 / 2017	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री एम.एल.पाटौदी एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री आर.के.अजमेरा एवं सुश्री इश्यू जैन उपस्थित। यह अपील अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.10.2016 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत् कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित मांग राशि रू0 9,25,04,078 / – की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने को चुनौती दी गयी है । उभयपक्षीय बहस सुनी गयी । विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने के संबंध में कोई कारण अंकित नहीं किया है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय Commissioner, Delhi Value Added Tax Vs ABB Ltd. Dated 5.4.2016 का उद्धरण प्रस्तुत किया। अतः मांग राशि के संबंध में उपर्युक्तं वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशि 9,25,04,078 / – की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी । विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेश का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी । उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपीलार्थी का मुख्यालय राज्य के बाहर और शाखायें राजस्थान राज्य में है। मुख्यालय द्वारा टर्नकी (Turnkey) के आधार पर संविदा कार्य का निष्पादन राज्य में किया गया है। उक्त संविदा कार्य में प्रयुक्त सामग्री हेतु अवार्डर द्वारा जारी किये गये "सी" फार्म के समर्थन पर माल राज्य के बाहर से, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 6(2) के तहत खरीद कर, आयातित किया गया। इस प्रकार अवार्डर द्वारा राज्य के बाहर से सामग्री खरीद कर प्रोजेक्ट में उपयोग में ली गयी है। लगातार............2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ....2306 / 2016................................जिला............जयपुर..

उनवान –

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08 / 03 / 2017	– 2 – उक्त खरीद बिक्री संव्यवहार राज्य के बाहर से, आयात होने के कारण धारा 6(2) के अन्तर्गत राज्य में करमुक्त होना विवादित है। चूंकि उक्त प्रकरण में अवार्डर राज्य की पावर कम्पनी मैसर्स राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि., जयपुर को विनिर्दिष्ट माल (specific goods) का कार्य संविदा में प्रयुक्त करने के लिये धारा 6(2) के प्रावधानों के अनुरूप संव्यवहार हुआ है जिनका उक्त कम्पनी के उक्त कार्य संविदा के अलावा उपयोग संभव नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्दिष्ट निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के दृष्टिगत एवं पूर्व में अपील संख्या 1259 / 2016 / जयपुर एवं 1087 / 2016 / जयपुर के समान प्रकरणों में माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा वसूली राशि को स्थगित करने के निर्णयों के दृष्टिगत प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रकरण में वसूली योग्य बकाया मांग वसूली पर रोक लगाई जाती है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप (Adequate Security) 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। उक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें । अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। आदेश प्रसारित किया गया। (मदन लाल मालवीय) सदस्य 8.3.2017 (मदन लाल) सदस्य	